न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–दिनेश कुमार यादव,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 12/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
लादूराम पुत्र मोटाराम जाति जाट,निवासी ग्राम सुराणा, तहसील व जिला नागौर।		ओमप्रकाश सोनी तहसीलदार, नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री अनिल गौड़ ।
2. अप्रार्थी की और से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश **दिनांक– 30.09.2019**

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार नागौर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या–94/19 सरकार बनाम लादूराम को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

प्रार्थी के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष एक कार्यवाही धारा 91 एल. आर.एक्ट के तहत पेश की हुई उक्त कार्यवाही पटवारी चाउ के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट दिनांक 26.07. 2019 पर शुरू की गई जिसके नं. 94/2019 थे।

प्रार्थी को तहसीलदार नागौर के कार्यालय से दिनांक 26.07.2019 को एक सम्मन जारी किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि प्रार्थी ने 0.15 बीघा रास्ते की भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है और यह भी अंकन किया गया कि उक्त अतिक्रमण कृषि वर्ष 2076 में किया है साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये गये कि दिनांक 30.07.2019 को न्यायालय तहसीलदार नागौर में उपस्थिति होकर जबाब पेश करें।

उक्त नोटिस की पालना में प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता के जरिये अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के कार्यालय में दिनांक 30.07.2019 को अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर से जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा गया एवं साथ ही यह निवेदन किया गया कि प्रार्थी साक्ष्य सबूत व संबंधित पटवारी हल्का जिसके द्वारा रिपोर्ट दिनांक 26.07.2019 बनाई गई से जिरह कर सफाई में प्रार्थी की तरफ से साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करना चाहता है इस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर ने प्रार्थी को दिनांक 05.08.19 को उपस्थित होने का अपने आदेशिका में अंकन कर दिया। उक्त अवधि मात्र 5 दिन की है एवं प्रार्थी को साक्ष्य सबूत एवं अन्य न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों की नकल लेने में समय लगेगा यह कहते हुए प्रार्थी ने लगभग 1 माह की तारीख हेतु निवेदन किया मगर तहसीलदार प्रार्थी के इस कथन पर अचानक भड़क गये एवं तहसीलदार ने उसी समय मौखिक रूप से प्रार्थी को कहा कि दिनांक 05.08.2019 को जबाब प्रस्तुत करें उसी दिन आपके विरूद्व बेदखली की कार्यवाही की जावेगी व आपके घर को दिनांक 06.08.19 को तोड़ा जायेगा।

तहसीलदार नागौर के उक्त व्यवहार से प्रार्थी हतप्रभ रह गया एवं प्रार्थी ने तहसीलदार नागौर से यह निवेदन किया कि अभी तो मैंने न्यायालय में उपस्थिति दर्ज करवाई है और आपने मौखिक रूप से मुझे बेदखल करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी यह तो न्याय के सिद्वांत के विपरीत है प्रार्थी के साथ प्रार्थी के दो रिश्तेदार और भी थे उन सभी के समक्ष तहसीलदार नागौर ने पुनः प्रार्थी को धमकाते हुए कहा कि हमें कानून सिखाने की जरूरत नहीं है तहसीलदार नागौर का यह कथन व व्यवहार न्याय

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

नियम एवं विधि के सिद्वांतों के विपरीत है इस हेतु प्रार्थी माननीय न्यायालय के समक्ष यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

तहसीलदार नागौर का यह कृत्य न्याय नियम विधि के सिद्वांत व अपने में निहित क्षेत्राधिकार गलत रूप से उपयोग करने की श्रेणी में आता है। प्रार्थी ने जब अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2019 को अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की थी तब युक्तियुक्त समय जबाव प्रस्तुत करने के लिए चाहा गया था एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समय चाहा गया था मगर तहसीलदार नागौर ने अपने में निहित शक्तियों का गलत रूप से उपयोग कर मात्र 5 दिन का समय दिया गया जो विधिविरूद्व है।

तहसीलदार नागौर का कृत्य जिसके माध्यम से उन्होनें 05.08.19 तारीख को अंतिम निर्णय कर 06.08.2019 तारीख को अतिक्रमण को गिराने की खुली धमकी अधिनस्थ न्यायालय में दी विधिविरूद्व कृत्य है एवं प्रार्थी को अब किंचित मात्र भी तहसीलदार नागौर के इस कृत्य से न्याय मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि उपस्थिति प्रस्तुत करते ही तहसीलदार द्वारा मौखिक रूप से प्रार्थी के विरूद्व प्रकरण का निस्तारण करने का मौखिक आदेश देना अपने आप में ही विधिविरूद्व कृत्य की श्रेणी में आता है।

विधि का यह स्पष्ट सिद्वांत है कि "न्याय किया हुआ ही नहीं न्याय हुआ होना भी प्रतीत होना चाहिए" (Justice not to be done it must be seen)। तहसीलदार नागौर ने इस सिद्वांत के विपरीत जाकर अपने में निहित क्षेत्राधिकारों का गलत उपयोग करते हुए क्षेत्राधिकार से परे जाकर शुरूवाती स्तर पर ही प्रकरण संख्या 94/19 का निस्तारण प्रार्थी के विरूद्व करने की मंशा जाहिर कर स्पष्ट रूप से न्याय के सिद्वातों की अवहेलना की है इस कारण प्रार्थी को अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर से न्याय मिलने की किंचित मात्र भी संभावना नहीं है।

प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्वांत है कि जिस व्यक्ति के विरूद्व किसी प्रकार की कोई कार्यवाही शुरू की जाती है उसे सुनवाई का पर्याप्त एवं युक्तियुक्त अवसर एवं प्रार्थी अपना बचाव प्रस्तुत करने में जो समय चाहता है वह उसे दिया जाना न्यायोचित है मगर वर्तमान प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने 26.07.2019 को प्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही शुरू कर उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किया गया है एवं दिनांक 30.07.2019 को उपस्थिति जब प्रार्थी द्वारा दी गई तो 05.08.19 तक जबाब का अवसर दिया गया। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि मात्र 9 दिनों में ही अतिशीघ्रता दिखाकर तहसीलदार नागौर ने अपनी मंशा प्रार्थी के विरूद्व प्रकरण निस्तारण करने की मंशा जाहिर कर दी है एवं मौखिक रूप से बेदखली का आदेश सुनाकर अतिक्रमण गिराने की धमकी देकर स्पष्ट रूप से न्याय के सिद्वांतों की अवहेलना की है ।

प्रार्थी का इसी भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय नागौर के समक्ष भी वाद विचाराधीन है जिसमें भी आगामी दिनांक 06.08.19 नियत है एवं प्रार्थी ने तहसीलदार नागौर के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 04.07.19 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बंद रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था एवं इसी भूमि के संबंध में एक एफ.आई.आर. भी पुलिस थाना श्रीबालाजी में 79/19 के रूप में दर्ज करवाई थी। इन सभी की नकले एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने में समय के लिए प्रार्थी ने निवेदन किया था मगर बेदखली की धमकी देकर प्रकरण संख्या 94/19 को प्रार्थी के विरूद्व निस्तारित करने की मंशा मौखिक रूप से जाहिर कर विधिविरूद्व कृत्य किया है। दिनांक 30.07.19 को प्रार्थी को मौखिक रूप से बेदखली की धमकी देने से वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है इस कारण यह प्रार्थना पत्र अन्दर मयाद पेश होने का कथन करते हुए तहसीलदार नागौर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 94/19 में 91 भू राजस्व अधिनियम का किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किया जाने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने बहस मेंवकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

Scanned by CamScanner

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों एवं रिकार्ड के मध्यनजर प्रकरण को किसी अन्यत्र न्यायालय को मुन्तकिल किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या 94/2019 सरकार बनाम लादूराम अन्तर्गत धारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को तहसीलदार मूण्डवा के न्यायालय में आगामी सुनवाई एवं विधि अनसार कार्यवाही हेतु मुन्तकिल किया जाता है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 07.10.2019 तहसीलदार मूण्डवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित होने के निर्देश दिये जाते है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मूण्डवा को निर्देश दिये जाते है कि दिनांक 07.10.2019 से 15 दिवस में प्रकरण में विधिअनुसार प्रकरण में निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर से प्राप्त उक्त मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 94/2019 सरकार बनाम लादूराम को तहसीलदार मूण्डवा को भिजवाते हुऐ इस आदेश की प्रति भी पालनार्थ भिजवाई जावे एवं आदेश की प्रति तहसीलदार नागौर को सूचनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.28 11:57:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: